

वकील डिफ्रीदार ने आवेदन पत्र आदेश २१ नियम ॥
 जा. दी के तहत मद्यान के विरुद्ध प्रस्तुत किया।
 प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर डिफ्री की
 प्रति तहसीलदार भीलवाड़ा को भिजवाते हुए लिखा
 जावे। वास्ते डिफ्री की पालना हेतु पत्रावली दिनांक
 ३१-८-१८ को पेश हो।

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी
 भीलवाड़ा

३१-८-१८ पत्रावली पेश हुई। वकील डिफ्रीदार उपस्थित। T.D.R भीलवाड़ा
 ने डिफ्री की पालना प्राप्त नहीं हुई। नमः T.D.R भीलवाड़ा
 ने डिफ्री की पालना भिजवाते बाका उमः लिखा जावे। वास्ते
 डिफ्री की पालना हेतु पत्रावली दिनांक २६-१०-१८ को पेश है।

२६-१०-१८ पत्रावली पेश हुई। वकील डिफ्रीदार उपस्थित। P.O. कांका
 रवाना नगर हो चला है। वास्ते डिफ्री की पालना हेतु पत्रावली
 दिनांक २५-२-१७ को पेश है। B.O.

२५-२-१७ पत्रावली पेश हुई। वकील डिफ्रीदार उपस्थित। P.O. कांका रवाना
 रवाना पर ही वास्ते डिफ्री की पालना हेतु पत्रावली दिनांक २५-५-१७
 को पेश है। B.O.

२५-५-१७ पत्रावली पेश हुई। वकील डिफ्रीदार उपस्थित। P.O. कांका रवाना
 राजस्थान कार्य के उपर ही वास्ते डिफ्री की पालना हेतु
 पत्रावली दिनांक ३१-७-१७ को पेश है। B.O.

३१-७-१७ पत्रावली पेश हुई। वकील डिफ्रीदार उपस्थित। T.D.R भीलवाड़ा
 द्वारा जमावदी की नकल प्रस्तावनी प्रस्ताव जमावदी के तबलेकन
 की पालना के जरिये देना का ५५ दिनांक २१-१-१७ के द्वारा पत्रावली
 जा चुकी है। प्रस्तावनी कार्यवाही कोष नहीं है। पत्रावली पेश
 गुपार की जाकर क्लरन कार्य है।

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी
 भीलवाड़ा